न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूॅगरपुर

आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 20.2.2018 द्धारा वकील प्रतिवादी प्रकरण संख्या 133/2013 राजस्व वाद धारा 88,188,209 राज0टि0एक्ट अनवान श्री गांगजी पिता गौतमा चमार निवासी सरोदा बनाम श्री ग्राम पंचायत सरोदा जरिये सरपंच

दिनांक 19.6.2018 :–

वकील प्रतिवादी के द्धारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 133/2013 राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 अनवान श्री गांगजी पिता गौतमा चमार निवासी सरोदा बनाम श्री ग्राम पंचायत सरोदा जरिये सरपंच में दिनांक 20.2.2018 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अनवान का एक वाद न्यायालय में ट्रायल पर है व इसी तरह का एक ओर वाद गांगजी बनाम देवेंगे भी न्यायालय में ट्रायल पर है , उक्त दोनो प्रकरण सिविल प्रकृति के है जो दोनो प्रकरण साथ साथ चलने योग्य है । यदि सिविल प्रकृति का माना जाये तो खारीज करने योग्य है । अतः प्रार्थनापत्र में दोनो प्रकरणेां को एक साथ करने व यदि सिविल प्रकृति का माना जाये तो खारीज किया जाने निवेदन किया गया है ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नकल वकील वादी को जवाब प्रस्तुत करने दी गई । वकील वकील वादी द्धारा प्रार्थना पत्र का दिनांक 27.3.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया । वकील वादी ने प्रार्थना पत्र के जवाब में वादी द्धारा प्रस्तुत अन्य वाद गांगजी बनाम देवेंग वगैराह में चाही गई दाद स्थाई एवं आदेशात्मक निषधाज्ञा जारी किए जाने का है ,वाद रेवेन्यु जमीन से सम्बन्धित है जिससे वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है जिससे दोनो वाद को समेकित कर सुनवाई एक साथ नही की जा सकती है तथा वाद रेवेन्यु जमीन से सम्बन्धित होने से सिविल प्रकृति का नही है । जवाब में वकील वादी ने प्रतिवादीगण को वादी से जीरह करनी है जिससे समय गुजारना चाहते हैं इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकिया हो जो निरस्त किया जाने योग्य होने से निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

वकील प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थनापत्र पर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई एवं दोनो प्रकरणों प्रकरण संख्या 133/2013(वाद)श्री गांगजी पिता गोतमा चमार बनाम ग्रामपंचायत सरोदा अन्तर्गत धारा आरटीए88,188,209 एंव प्रकरण संख्या 19/2013(वाद)श्रीगांगजी पिता गोतमा चमार बनाम श्री देवेंग पिता कोदरजी पाटीदार वगैरा अन्तर्गत धारा आरटीए 88,209 का अवलोकन किया गया।

प्रकरण संख्या 19/2013 दिनांक 15.1.2013 को दर्ज रजिस्टर होकर मौजा सरोदा के आराजी नम्बर 7184 रकबा 2बीघा पर वादी द्धारा निर्मित दो मंजिला दुकान पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दुकान को घ्वस्त नहीं करने ,नही गिराने एंव वादी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं करने ,वादी को दुकान का उपयोग उपभोग करने से नहीं रोकने तथा दुकानमें शेष रहे कार्य को करने से नहीं रोकने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है ।

प्रकरण संख्या 133/2013 दिनांक 24.9.2013 को दर्ज रजिस्टर होकर वांछित दाद में आराजी नम्बर 7184 रकबा 2 बिस्वा वादी की घेाषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाहने का है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner